सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 727 राँची, सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2019

संख्या- 904 जी.एस.आर.-- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल, परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा में भर्ती , नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली विहित करते हैं।

झारखंड परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2019

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(क) इस नियमावली को झारखंड परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।

(ख) यह नियमावली झारखंड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जबतक विषय एवं संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"सरकार"** से अभिप्रेत है झारखंड सरकार।

(ख) **"विभाग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार का परिवहन विभाग।

(ग) **"नियुक्ति पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है :-

1. प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं प्रवर्तन निरीक्षक के मामलों में राज्य परिवहन आयुक्त।
2. प्रवर्तन पदाधिकारी के मामले में राज्य सरकार।

(घ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग।

(ड़) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है झारखंड परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग।

(च) **"संवर्ग के सदस्य"** से अभिप्रेत है भारत का नागरिक जो इस नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग के किसी पद पर नियुक्त किया गया है।

(छ) ''राज्य परिवहन आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में इस पद पर अधिसूचना के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी।

3. संवर्ग **-** इस संवर्ग में निम्नांकित पद होंगे -

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वेतनमान**
प्रवर्तन अवर निरीक्षक	मूल कोटि 60 प्रतिशत	PBI, 5200-20200 GP 2400 (अपुनरीक्षित) Level – 4 in 7th CPC
प्रवर्तन निरीक्षक	30 प्रतिशत	PBI, 5200-20200 GP 2800 (अपुनरीक्षित) Level – 5 in 7th CPC
प्रवर्तन पदाधिकारी	10 प्रतिशत	PBII, 9300-34800 GP 4200 (अपुनरीक्षित) Level – 6 in 7th CPC

4. प्रास्थिति:-इस संवर्ग के प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, प्रवर्तन निरीक्षक तथा प्रवर्तन पदाधिकारी अराजपत्रित पदाधिकारी माने जाऐंगे।

भाग-2

<u>सीधी नियुक्ति</u>

5. सीधी नियुक्ति के पद एवं स्रोत **-** संवर्ग के पदों में सीधी नियुक्ति केवल प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी।

6. रिक्तियों का निर्धारण**-** प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी।

7. रिक्तियों का विज्ञापन एवं आवेदन का आमंत्रण **-** आयोग सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के बारे में रिक्तियों की घोषणा समय-समय पर जिस रीति से उचित समझे करेगा। आयोग सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा जिसकी प्रक्रिया आयोग स्वयं तय करेगा।

8. आयु सीमा**-** प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनत्तम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकत्तम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों के आलोक में निर्धारित की जाएगी। उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त रहेगी।

<u>टिप्पणी</u>- किसी अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने हेतु प्रवेशिकोत्तीर्ण प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि को आधार माना जायेगा।

9. न्यूनतम अर्हतांक **-** परीक्षा में सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.2012 के आलोक में निम्न प्रकार से निर्धारित रहेगा।

सामान्य	-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनु0 -2)	-	36.5 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0 -1)	-	34 प्रतिशत
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला वर्ग (झारखण्ड के स्थानीय निवासी)	-	32 प्रतिशत

न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे एवं उन्हें मेधा सूची में स्थान नहीं दिया जायेगा। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा न्यूनतम अहर्त्तांक में किया गया संशोधन यथा रूप प्रभावी होगा।

10. शारीरिक एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा -

(क) शारीरिक जाँच परीक्षा- लिखित परीक्षा के आधार पर मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा के लिए किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों की सूची एवं निजी फोल्डर आयोग द्वारा परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को शारीरिक जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु भेज दी जायेगी। तदुपरान्त परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित चयन पर्षद के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच परीक्षा की जायेगी। शारीरिक जाँच परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। शारीरिक जाँच परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी उक्त परीक्षा की तिथि को ही अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

शारीरिक योग्यता मापदण्ड **:-**

क्रमांक	आरक्षण कोटि	ऊँचाई (से०मी०)	सीना (फुलाने पर) (से०मी०)
1.	अनारक्षित	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
2.	अनुसूचित जनजाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
3.	अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
5.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
6.	महिला	न्यूनतम 148	-

पैदल चलने की क्षमता:-

(क) पुरूषों के लिए 25 कि०मी० 04 घंटे में।

(ख) महिलाओं के लिए 14 कि०मी० 04 घंटे में।

शारीरिक जाँच परीक्षा का प्रपत्र **परिशिष्ट-I** के रूप में संलग्न है।

(ख) चिकित्सीय जाँच परीक्षा-

i) शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जाँच परीक्षण स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

ii) **अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईडनेश (Colour Blindness)/रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/Hydrocele/Piles Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।**

चिकित्सीय जाँच परीक्षा का प्रपत्र **परिशिष्ट-II** के रूप में संलग्न है।

iii) चिकित्सीय पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए Apex Medical Board अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित Apex Medical Board द्वारा किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

Apex Medical Board के द्वारा चिकित्सीय जाँच परीक्षा का प्रपत्र **परिशिष्ट-III** के रूप में संलग्न है।

(ग) शारीरिक जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची एवं निजी फोल्डर परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

11. चरित्र - अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. शैक्षणिक योग्यता - अभ्यर्थी की न्यूनत्तम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि होगी।

13. प्रतियोगिता परीक्षा - प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगी:-

(क) लिखित परीक्षा

(ख) शारीरिक जाँच परीक्षा

(ग) चिकित्सीय जाँच परीक्षा

क) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा के लिए किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों की सूची एवं निजी फोल्डर आयोग द्वारा परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को शारीरिक जाँच परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु भेज दी जायेगी। तदुपरान्त परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित चयन पर्षद के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच परीक्षा की जायेगी। शारीरिक जाँच परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। शारीरिक जाँच परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी उक्त परीक्षा की तिथि को ही अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

ग) लिखित एवं शारीरिक जाँच परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच परीक्षा एतदहेतु गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा की जायेगी। चिकित्सा पर्षद के निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए Apex Medical Board गठित किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में Apex Medical Board का निर्णय अंतिम होगा।

घ) शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

ड.) प्रर्वतन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार नियमावली के नियम-10 में निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना, शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

14. लिखित परीक्षा - लिखित परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम वही होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली के लिए निर्धारित है। इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन यथारूप प्रभावी होंगे।

15. आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार को अनुशंसा - **आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत शारीरिक जाँच एवं चिकित्सीय परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर गठित की जायेगी तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के अनुसार रिक्ति के सापेक्ष अनुशंसा अधियाची विभाग को आयोग द्वारा प्रेषित की जायेगी।**

टिप्पणी - 1. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा।

2. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13026, दिनांक-27.11.2012 के प्रावधानों के आलोक में किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत समझी जायेगी।

16. **(क)** परिवीक्षा - अंतिम रुप से चयनित एवं सुयोग्य अभ्यर्थी को दो वर्षों के लिए परीक्ष्यमान रुप से प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जायेगा। इस अवधि में उन्हे विभागीय कार्यों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु किसी ऐसे संस्थान या संस्थानों में भेजा जा सकेगा जहाँ सरकार उचित समझे। परीक्ष्यमान अवधि में राजस्व पर्षद द्वारा संचालित मुफ्फसिल अनुसचिवीय कर्मचारियों कोटि संवर्ग के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा के सदस्यों को उनके पद के लिए पद का वेतनमान एवं सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते अनुमान्य होंगे।

(ख) परीक्ष्यमान रुप से नियुक्त सदस्य को प्रथम वेतन वृद्धि के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। परीक्ष्यमान रुप से नियुक्त कोई सदस्य यदि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक नहीं पूरा करते हों तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हों अथवा परीक्ष्यमान अवधि में उसके कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं पाये जाते हैं तो परीक्ष्यमान अवधि को नियुक्ति पदाधिकारी एक वर्ष और बढ़ा सकेगा। यदि इस विस्तारित अवधि में भी वह प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा में सफल नहीं होता है तो, या उसका कार्यकलाप अथवा आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो, सेवा से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा और नियुक्ति पदाधिकारी कारणों का उल्लेख करते हुए उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा और तत्पश्चात् परीक्ष्यमान सेवा का किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा।

परीक्ष्यमान रूप से प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सदस्य प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा असफल हो जाते हैं तो वैसे सदस्यों को अपने पूर्व के मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दी जायेगी।

(ग) संपुष्टि - सेवा के किसी परीक्ष्यमान सदस्य को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई अवधि की समाप्ति पर यदि उनका कार्य और आचरण संतोषप्रद पाया गया हो, और विहित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो तो संपुष्ट कर दिया जायेगा।

प्रोन्नति

17. **(1)** प्रवर्तन अवर निरीक्षक-प्रवर्तन अवर निरीक्षक के नियमित पदों का 75 प्रतिशत पद समय-समय पर आयोग द्वारा एतद्र्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरा जायेगा। शेष 25 प्रतिशत नियमित पदों को वैसे चलन्तदस्ता सिपाहियों से प्रोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा जो स्नातक योग्यताधारी हो एवं 12 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) प्रवर्तन निरीक्षक **-** प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(क) प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा निम्नलिखित रुप से गठित प्रोन्नति समिति के द्वारा की जाएगी -

1. सचिव, परिवहन विभाग - अध्यक्ष
2. राज्य परिवहन आयुक्त - सदस्य
3. गृह विभाग के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी - सदस्य
4. संयुक्त परिवहन आयुक्त - सदस्य
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा मनोनीत - सदस्य
एक पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून)

(ख) प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमान आधारित निर्धारित कालावधि के अनुसार होगी।

18. प्रवर्तन पदाधिकारी **-** प्रवर्तन निरीक्षक के पद से प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमान आधारित निर्धारित कालावधि के अनुसार होगी।

19. आयोग की अनुशंसा एवं नियुक्ति **-**

(क) प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा निम्न रुप से गठित एक समिति के द्वारा की जायेगी जो वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति की अनुशंसा कर सकेगी।

1. सदस्य, राजस्व पर्षद - अध्यक्ष
2. सचिव, परिवहन विभाग - सदस्य
3. राज्य परिवहन आयुक्त - सदस्य
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) - सदस्य
5. गृह विभाग के प्रतिनिधि (आरक्षी अधीक्षक से अन्यून) - सदस्य

उक्त समिति द्वारा चयन एवं अनुशंसा की प्रक्रिया वही होगी जो राजपत्रित सेवाओं में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की प्रक्रिया निर्धारित है।

(ख) उक्त प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् सरकार प्रोन्नति द्वारा प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति करेगी।

भाग-4

<u>विविध</u>

20. पारस्परिक वरीयता **-**

(क) संवर्ग के उन सदस्यों जिनकी सीधी नियुक्ति किसी कैलेन्डर वर्ष में निर्धारित चयन प्रक्रिया से आयोग की अनुशंसा पर हुई हो की पारस्परिक वरीयता वही होगी जो आयोग की मेधा सूची में थी।

संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं प्रोन्नति से नियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षक के मामले में यदि पदाधिकारियों की भर्ती एक साथ ही प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति से की जाय तो प्रोन्नत पदाधिकारियों को सीधे भर्ती किए गये पदाधिकारियों के मुकाबले पूर्वता मिलेगी।

(ख) संवर्ग के जो सदस्य इन नियमों के प्रवृत होने के पूर्व इस संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त हो चुके हैं, वे जब तक अन्यथा कोई आदेश न हो तब तक इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेगें और संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

<u>टिप्पणी</u> **-** इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को या इसके बाद जो पदाधिकारी भिन्न संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर आकर कार्यरत हो उन्हें इस संवर्ग का सदस्य नहीं माना जायेगा।

21. विभागीय परीक्षा **-**

(क) संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्ष्यमान रुप से नियुक्त सदस्य को प्रथम वेतन वृद्धि के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

(ख) संवर्ग में सीधी भर्ती नियुक्त प्रत्येक सदस्य को एक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी जो राजस्व पर्षद द्वारा मुफ्फसिल अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए आयोजित परीक्षा के साथ आयोजित की जायेगी। विभागीय परीक्षा के विषयों का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा में मोटरवाहन से संबंधित नियमों, अधिनियमों में उनकी दक्षता की जाँच करने के उद्येश्य से प्रश्न पत्र गठित किए जायेगे। नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने की अवस्था में सेवा के सदस्य को दूसरी वेतन वृद्धि तब तक देय नहीं होगी और तब तक किसी प्रोन्नति के लिए विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर लेता है।

परन्तु यह कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने पर अवरुद्ध वेतन वृद्धियाँ ऐसी परीक्षा की तिथि से बिना किसी बकाये के अनुमान्य कर दी जायेंगी और संपुष्टि अथवा प्रोन्नति हेतु उनकी पात्रता उसी तिथि से बहाल हो जाएगी।

22. अनुशासनिक कार्रवाई - संवर्ग के पदधारकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

23. आरक्षण - सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर लागू आरक्षण के अधिनियम/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

24. सामान्य निर्देशों का लागू होना - नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासन, अपील सहित सेवा शर्त्त के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्य सभी प्रावधान जिनके लिए इस नियमावली में विशिष्ट उपबंध नहीं किए गये हो सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।

25. निरसन एवं व्यावृति -

1. परिवहन विभाग के इस संदर्भ में पूर्व निर्गत सभी नियमावली, यदि कोई हो, एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

2. उक्त निरसन के होते हुए भी निरसित की गई नियमावली के किसी उपबंध के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई जब तक यह कार्य या कार्रवाई इस नियमावली के उपबंधो से असंगत न हो, इस नियमावली के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

26. कठिनाई निवारण - यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो अथवा अन्यथा अपेक्षित हो तो प्रशासी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव राज्य सरकार की सहमति से संशोधन आदेश/आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।